न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

पुनरीक्षण प्र0क0........................../2017

49

प्र/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/4840

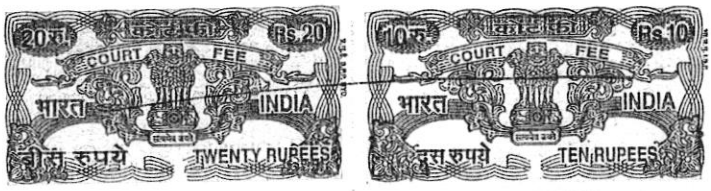

मीरा बाई सेन पुत्री स्व0 जगन्नाथ सेन निवासी अशोक मार्ग सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0..आवेदिका/निगराकार

बनाम

1--गुलाबचन्द्र सेन तनय स्व0 जगन्नाथ सेन निवासी अशोक मार्ग सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

2--देवरती पुत्री स्व0 जगन्नाथ सेन निवासी अशोक मार्ग सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

3--गोविन्द तनय रामेश्वर नाई निवासी फूलचन्द्र चौक सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0..अनावेदकगण/गैरनिगराकारगण

दिनांक 5-12-17 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत। 5-12-17

पुनरीक्षण (निगरानी) विरूद्ध आदेश न्यायालय नजूल अधिकारी सतना म0प्र0 जरिये प्र0क04अ20(1)/10--11 आदेश दिनांक 15.09.2017।
पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959।

मान्यवर,

पेशी 14-12-17

14-12-17 उपरोक्त सदंर्भ में आवेदिका निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनय करती है :--

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका व अनावेदिका क0 2 आपस में सगी बहनें है तथा अनावेदक क0 1, आवेदिका की मॉ के पहले पति से उत्पन्न पुत्र है जिसे आवेदिका की मॉ 5 वर्ष की उम्र में आवेदिका के पिता के पास लेकर आई थी व दूसरी पत्नी के रूप में निवास करने लगी थी।

विवादित नजूल भूखंड नगर सतना में स्थित है जो नजूलशीट क0 142ए, भूखंड क0 148/1 रकवा 624 वर्गफिट है। जो आवेदिका व अनावेदिका क0 2 के पिता जगन्नाथ सेन व उनके बड़े पिता ठाकुरदीन सेन के नाम पर इन्द्राज है। जिसमें 1/2 हिस्सा ठाकुरदीन का था तथा 1/2 हिस्सा जगन्नाथ सेन का था। जगन्नाथ सेन फौत हो चुके है तथा ठाकुरदीन भी लावल्द फौत हो चुके है।

क्रमशः---2

05/12/2017

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/4840

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
22-12-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 एल0 सोनी उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में नजूल अधिकारी सतना का प्रकरण कमांक 4/अ-20/(1)/2010-11 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 15.9.17 के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है निगरानी मेमों के साथ धारा-5 का आवेदन तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। 2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 3 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	